

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २०२/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४०७/२०१६)  
श्रीमती सुमन आदि बनाम प्रदीप कुमार आदि  
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती सुमन, कुमारी राधा, शिवम नाबालिग, कु. शिवानी नाबालिग एवं हरनारायण पुत्र स्व. देव सिंह (दौरान मुकदमा मृतक) द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकित २४.०७.२०२० के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर की धनराशि ₹ ११,०७,४०० व ₹ २,७२,६९४ की दो चेक के माध्यम से जमा कर दी है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि उन्हें दिलाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण की ओर से समर्थन में ४सी२ व ६सी२ शपथपत्र श्रीमती सुमन, आधार कार्ड व पासबुक की छाया प्रतियाँ, एक किता चेक की छाया प्रति व हर नारायण के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल किये गये हैं।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. ४०७/२०१६ श्रीमती सुमन आदि बनाम प्रदीप कुमार आदि की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती सुमन ने अपने शपथपत्र ४सी२ व ६सी२ में ३बी प्रार्थनापत्र का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील लंबित नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक २४.०७.२०२० को ₹ ११,०७,४०० का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ५ को क्रमशः २५,२०,२०,२० व १५ प्रतिशत के अनुपात में प्राप्त होनी है तथा याची सं. १ व ५ को प्राप्त होनी वाली धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत भाग क्रमशः ५ व ३ वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है तथा उनकी शेष २५-२५ प्रतिशत धनराशि उनके बैंक खाते में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उन्हें नकद प्राप्त होनी है तथा याची सं. १ व २ की सावधि जमा में से वह वार्षिक ब्याज अपने बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त करेंगे। चूँकि याची सं. २ लगायत ४ वर्तमान में भी अवयस्क हैं, अतः उन्हें प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि उनके नाम कसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली योजना में उनके वयस्क होने तक के लिए जमा की जावेगी, जो धनराशि उनके वयस्क होने पर वे प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय आख्या के अनुसार पी.एन.बी. झोकनबाग में ₹ २,७२,६९४ एवं ₹ ११,०७,४०० जमा होने का इन्द्राज है। इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण २,२७,६९४+११,०७,४००= ₹ १३,८०,०९४ प्रतिकर धनराशि उक्त बैंक में जमा है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं। प्रार्थीगण द्वारा **प्रार्थी सं. ५ हरनारायण को प्रार्थनापत्र में दौरान मुकदमा मृत** होना दर्शया है, जिस कथन का समर्थन प्रार्थिया श्रीमती सुमन ने अपने शपथपत्र ६सी२ में किया है तथा मृतक हरनारायण के मृत्यु प्रमाण की छाया प्रति ७सी१ पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि हरनारायण पुत्र देव सिंह की मृत्यु दिनांक १३.११.२०१९ को होना अंकित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी हरनारायण मृतक पुष्पराज जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, का पिता है। ऐसी स्थिति में मृतक हरनारायण को प्रकरण में प्राप्त होने वाली धनराशि प्रार्थी सं. १ लगायत ४ को बराबर-बराबर भाग में दिलाया जाना न्यायोचित होगा। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण सं. १ लगायत ४ न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुसार जमाशुदा धनराशि अपने अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद तथा एफ.डी.आर. के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

**आदेश**

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी.सं. ४०७/२०१६ (प्रकीर्ण वाद सं. २०२/२०२० श्रीमती सुमन आदि बनाम प्रदीप कुमार आदि) के प्रकरण में प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

| Applicant/<br>Petitioner | Amount<br>in ₹ | +(%of)<br>Interest | Mode of<br>Disbursement | Bank<br>Account | Bank | IFSC Code |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------|-----------|
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------|-----------|

|                           |                | Accrued<br>on<br>Deposited<br>Amount |                                                                                                        | Number          |                                                 |             |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1. Smt. Suman             | 297583         | 21.56                                | Annuity for 5 Years                                                                                    | —               | Any Nationalized Bank                           | —           |
| 1. Smt. Suman             | 99195          | 7.19                                 | Elect. Mode RTGS/NEFT                                                                                  | 000902200013431 | District Cooperative Bank Limited. Moth, Jhansi | ICIC00ZSBLJ |
| 2. Kumari Radha (Minor)   | 327772         | 23.75                                | FD upto her majority. Annual interest shall be paid in the Bank Account of Petitioner No. 1 Smt. Suman | —               | Any Nationalized Bank                           | —           |
| 3. Shivam (Minor)         | 327772         | 23.75                                | FD upto his majority. Annual interest shall be paid in the Bank Account of Petitioner No. 1 Smt. Suman | —               | Any Nationalized Bank                           | —           |
| 4. Kumari Shivani (Minor) | 327772         | 23.75                                | FD upto her majority. Annual interest shall be paid in the Bank Account of Petitioner No. 1 Smt. Suman | —               | Any Nationalized Bank                           | —           |
| Total                     | <b>1380094</b> | 100                                  |                                                                                                        |                 |                                                 |             |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

०८/०६/२१  
याची के प्रार्थना पत्र ६२सी२ पर सुना।  
चूँकि राधा बालिग है अतः उसके हिस्से की धनराशि  
३ वर्ष के लिए सावधि जमा मे निवेशित किया जाय।  
तदनुरूप आदेश दिनांकित १२.१२.२०२० संशोधित।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।